

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

मौसम बनाम श्रीराम वगैरहा

मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मु0नं0 13/2020

श्रीराम
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

03 2020

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन व अपूनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अप्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा करोडी तहसील सिकराय स्थित आराजी खसरा 284 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा 432 रकबा 2.6800 हैक्टेयर, खसरा 283 रकबा 1.3400 हैक्टेयर कुल किता तीन व वाके रामा खेडापहाडपुर खसरा नम्बर 33 रकबा 0.8700 हैक्टेयर कुल किता 1 तहसील सिकराय में आगामी तिथि तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक 21/11/20 को न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करें पत्रावली वास्ते तलबी रजिस्टर्ड ऐंडी हेतु दिनांक 21/11/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

13/11

वकील वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद प्रार्थीगण को जमाना की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थीगण को जमाना नहीं दी।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थीगण को जमाना नहीं दी।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

प्रार्थना पत्र
के मांगे पर
नहीं पाए गए
प्रार्थीगण
की है।

मोहरी
Eddy
नारायण